फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

ग्यारसी बनाम नेक…

संख्या : 51/25 [illegible]

~~स~~ ~~ख्या~~	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/8/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थिगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/25 को पेश हो।	
	28/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वास्ते आदेश दिनांक 29/08/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 51/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 01.05.2025

1. ग्यारसा पुत्र चुन्नीलाल
2. बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. महिपाल पुत्र मंगलचन्द
4. रामनिवास पुत्र मोहनलाल समस्त उम्र–वंयस्कान, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–गाँव किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

....वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र उदाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरदारपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज. ।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री नरेश कुमार आत्रेय व श्री करण स्वामी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

दिनांक 29.08.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान–2 रकबा 3.8200 व खसरा नम्बर–221 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर–222 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर–223 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर लगानी 108. 9200 पैसे वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ. नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादी संख्या–1 ग्यारसा के नाम 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–2 बंशी के नाम 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–3 महिपाल के नाम 1/4 [illegible] वादी संख्या–4 रामनिवास के नाम 1/4 हिस्सा भू–भाग राजस्व रिकॉर्ड [illegible] खाता संख्या नया 43 व खाता संख्या पुराना 40 है। नकल चालू [illegible] से 2078 बहल्फ वाद पत्र पेश है। हाल आराजी खसरा नम्बर–142/599 रकबा 0.12[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर–143 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–145 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–146 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–146/651 रकबा 0.5500

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:22 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.2800 हैक्टेयर लगानी 45.42 पैसे जिसके खाता संख्या नया 89 व खाता संख्या पुराना 89 है। उक्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या—1 के नाम दर्ज है जो कि वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार रोजदा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त आराजी वर्णित वाद पत्र की खण्ड संख्या—1 वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर वादीगण संख्या—1 लगायत 4 की कब्जे काश्त व खातेदारी कृषि भूमि रही है जिसमें वादीगण अपने खातेदारी हक हकूको के तहत काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिसमें बोरिंग लगा हुआ है व खेजड़े व बबूल इत्यादि के पेड़ लगे हुये है जिसमें सिंव डोल व तारबाउण्ड्री की हुई है। वादीगण की उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कभी कोई संबंध या वास्ता नही रहा है। इस प्रकार वादीगण वैध कानूनी रूप से अपनी उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों के तहत काबिज आमद है। वादीगण की उक्त आराजी कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या—1 के लगती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या—1 की कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या—2 वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का रोजदा की कृषि भूमि लगती हुई है। जिस कारण से कुछ अर्से से उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन आये दिन वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि में कब्जे काश्त में माजाहमत करते है व आये दिन वादीगण की सिंवडोल को तोड़कर जबरन वादीगण की कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से अपनी 'कृषि भूमि में मिलाने की नाजायज कोशिश करते है। उक्त वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी कृषि भूमि की तारबंदी को आये दिन क्षतिग्रस्त करते रहते है व जबरन सिंवडोल पर खडे नीवं, खेजडे, बबूल के वृक्षों को क्षति कारित करते है व आये दिन वादीगण की कृषि भूमि की सिंवडोल व तारबंदी को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। वादीगण एक शरीफ व कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादी संख्या—1 काफी प्रभावशाली धन बल वाला व्यक्ति है। उक्त प्रतिवादी संख्या—1 ने अर्सा 7 दिन पूर्व किन्हीं अन्य दीगर अजनबी माफिया गिरोह व अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर वादीगण की कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या—1 में बनी मिट्टी की पुख्ता सिंवडोल को फावडे से काटने लग गये व जबरन वादीगण के खेत की सीमा पर लगी तारबंदी को हटाने लग गये थे व अनाधिकृत रूप से वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लग गये, उस वक्त वादीगण व उसके परिवारजनों ने प्रतिवादी संख्या 1 व उनके साथ व्यक्तियों को काफी समझाईश की कि वादीगण की उक्त आराजीयात राजस्व ग्राम चतरपुरा में पढ़ती है वह वादीगण की उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या—1 की कृषि भूमि से कोई संबंध नही है व उक्त कृषि भूमि वाद पत्र की मद संख्या—1 व वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 2 अलग—अलग राजस्व ग्राम में स्थित है, परन्तु प्रतिवादी संख्या—1 व उनके परिवारजनों व साथ वाले व्यक्तियों ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषिभूमि पर, वर्नी, सिंवडोल को तोड़कर तारवंदी को हटायेगें व अनाधिकृत रूप से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करके रहेंगें। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी संख्या–1 आये दिन सिंवडोल को लेकर सीमा विवाद करते रहते है व वादीगण कब्जे काश्त भूमि में मजाहमत पैदा करते रहते है, जवकि कानूनन उनको ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी उँची पहुंच व धन वल के आधार पर किन्हीं भू–माफिया गिरोह से साठगांठ करके वाद पत्र की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या–1 में जवरन वादीगण को वेदखल करने में व वर्णित वाद पत्र की मद संख्या–3 लगायत 6 में वर्णितानुसार कामयाव हो गया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से महरूम होना पडेगा व अनेको मुकदमें बाजी में फंसना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि से करना संभव नही है। दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व सीमा निश्चयकरण की मद संख्या–3 लगायत 7 में वर्णितानुसार व प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा आये दिन वाद पत्र की कृषि भूमि के सिंवडोल को क्षतिग्रस्त करने व तारवंदी को जवरन तोड़ने व सीमा विवाद उत्पन्न कर सीमा निश्चयकरण नही करने की ऐलानिया धमकी वादीगण को उनके कब्जे काश्त की कृषि भूमि में मजाहमद पैदा करने के फलस्वरूप दावा हरसूरत में अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या–2 उक्त आराजीयात का लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गयी। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. **PW1** ग्यारसा पुत्र चुन्नीलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।
2. **PW2** बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम किशनुपरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक प्रदर्श–1, नक्शा ग्राम दूलपुरा खाता संख्या 43 प्रदर्श–2, जमाबंदी ग्राम सरंदा री संवत 2073 से 2076– प्रदर्श व प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस खाता संख्या 89, प्रदर्श –3 को वादी ने प्रदर्शित करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

हमने विद्वान अधिवक्ता की मुकदमेय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादीगण को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2 रकवा 3.8200 व खसरा नम्बर 221 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर 222 रकवा 0.0400, खसरा नम्बर 223 रकवा 1. 1900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 5.0600 हैक्टेयरे वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ. नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर का वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है, यह जमाबंदी (संवत 2075–2078) प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। जमावंदी (संवत 2075–2078) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नम्बर 2 रकबा 3.8200 व खसरा नम्बर–221 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर–222 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर–223 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर पर कब्जा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान–2 रकबा 3.8200 व खसरा नम्बर–221 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर–222 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर–223 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर लगानी 108. 9200 पैसे वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ. नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादीगण सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 63/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.07.2024

1. ग्यारसा पुत्र चुन्नीलाल
2. बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. महिपाल पुत्र मंगलचन्द
4. रामनिवास पुत्र मोहनलाल समस्त उम्र–वयस्कान, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–गाँव किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

....वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र उदाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरदारपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज. ।

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 29.08.2025

प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान–2 रकबा 3.8200 व खसरा नम्बर–221 रकबा 0. 0100, खसरा नम्बर–222 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर–223 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0600 हैक्टेयर लगानी 108. 9200 पैसे वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ. नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादीगण सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर